उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग2-

संख्या- 1183/ग्यारह-2-24-9(47)/17-टी०सी०.262-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(324)-2024

लखनऊः दिनांकः 09-10-2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,2017(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)की धारा 9 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल का यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों पर, एतदद्वारा अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-843/ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश-(10)-2017 दिनांक- 30-06-2017, में अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में (एक) सारणी में

संशोधन

(क) क्रम संख्या 25 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ (2), (3), (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सबंधित प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने; बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, अनुलिपि बिल जारी करने आदि जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की पूर्ति के लिए आनुषंगिक या प्रासंगिक हैं।	शून्य	शून्य"

(ख) क्रम संख्या 44 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (2), (3), (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, .अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

"44क	शीर्षक 9981	अनुदानों के रूप में प्राप्त प्रतिफल के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास सेवाओं का निम्नलिखित द्वारा पूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (दो) या (तीन) के अधीन अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था।	कुछ नहीं	परन्तु यह कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (दो) या (तीन) के अधीन अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, अनुसंधान और विकास सेवा की पूर्ति के समय इस प्रकार अधिसूचित है।"

(ग) क्रम संख्या 66 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात् स्तम्भ (2), (3), (4) और (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रख दी जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66क	शीर्षक 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षणिक बोर्ड या परिषद या किसी अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, के द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(घ) क्रम संख्या 69 और उससे सम्बंधित स्तम्भ (2), (3), (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	शीर्षक	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी	शून्य	शून्य"

9992 या शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991	सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त निर्धारण अभिकरण; (ङ) ऐसा प्रशिक्षण निकाय, जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्यायित हो, निम्नलिखित के संबंध में- एक. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या दो. राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन और मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या तीन. राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचे से संबद्ध कोई भी अर्हता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ने अर्हता पैकेज को अनुमोदित किया हो			

(ङ) क्रम संख्या 71 के समक्ष, स्तम्भ (3) में, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक

प्रशिक्षण परिषद" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" रख दिये जायेंगे|

(दो) पैराग्राफ 2 के मद (ज) में,

(क) उप-मद (एक) में, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" रख दिये जायेंगे|

(ख) उप-मद (दो) में, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद" रख दिये जायेंगे

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

Signed by
M Devaraj
(एम० देवराज)
Date: 09-10-2024 21:52:36
प्रमुख सचिव